भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2215
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगार युवा

2215. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने देश के बेरोजगार युवाओं का डेटा एकत्र किया है;
(ख) यदि हां, तो रोजगार उन्मुख अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने वाले कारकों सहित, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त योजनाएं बेरोजगार युवाओं को नौकरी/रोजगार प्रदान करने में प्रभावकारी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारण क्या है;
(ङ) क्या सरकार का नई रोजगार नीति तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के आधार पर अनुमानित बेरोजगी दर का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। पीएलएफएस सर्वेक्षणों की रिपोर्टें सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट, https://www.mospi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग एवं घ): रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के पास कार्य करने में सहायता करने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए लगभग 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

(ड. एवं च): सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, समामेलन एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 अधिसूचित की हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रदान करेगा। यह कामगारों एवं उद्योग के आवश्यकताओं को भी संतुलित करेगा तथा कामगारों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2215 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)	
		2017-18 (पीएलएफएस)	**2018-19 (पीएलएफएस)**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7
3	असम	7.9	6.7
4	बिहार	7.0	9.8
5	छत्तीसगढ़	3.3	2.4
6	दिल्ली	9.4	10.4
7	गोवा	13.9	8.7
8	गुजरात	4.8	3.2
9	हरियाणा	8.4	9.3
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1
11	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1
12	झारखंड	7.5	5.2
13	कर्नाटक	4.8	3.6
14	केरल	11.4	9.0
15	मध्य प्रदेश	4.3	3.5
16	महाराष्ट्र	4.8	5.0
17	मणिपुर	11.5	9.4
18	मेघालय	1.6	2.7
19	मिजोरम	10.1	7.0
20	नागालैंड	21.4	17.4
21	ओडिशा	7.1	7.0
22	पंजाब	7.7	7.4
23	राजस्थान	5.0	5.7
24	सिक्किम	3.5	3.1
25	तमिलनाडु	7.5	6.6
26	तेलंगाना	7.6	8.3
27	त्रिपुरा	6.8	10.0
28	उत्तराखंड	7.6	8.9
29	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7
30	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5
32	चंडीगढ़	9.0	7.3
33	दादर और नगर हवेली	0.4	1.5
34	दमन और दीव	3.1	0.0
35	लक्षद्वीप	21.3	31.6
36	पुडुचेरी	10.3	8.3
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18 एवं 2018-19, की वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।